भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारिबैं/2024-25/128

विवि.सीएपी.आरईसी.सं.68/21.01.002/2024-25 21 मार्च 2025

महोदय /महोदया,

विनियामकीय पूंजी प्रयोजन के लिए उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति का निष्पादन

कृपया देखें:

क) मास्टर निदेश के पैरा 5.1.25 और 107.2 - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - स्केल आधारित विनियमन निदेश, 2023 - (स्वाधिकृत निधि और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी की परिभाषा)

ख) मास्टर निदेश का पैरा 4.1.28 - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 - (स्वामित्व वाली निधि की परिभाषा)

ग) कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 3.(1)(xxii) – (स्वाधिकृत निधि की परिभाषा)

घ) बंधक गारंटी कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 3(ए)(xxv) – (स्वाधिकृत निधि की परिभाषा)

ङ) मास्टर निदेश का पैरा 3.1(xi) – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निदेश, 2024 – (स्वाधिकृत निधि की परिभाषा)

च) मास्टर निदेश – एकल प्राथमिक व्यापारी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 3(iv) - (टियर 1 पूंजी की परिभाषा)

ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार स्वाधिकृत निधि/सीईटी 1 पूंजी/टियर 1 पूंजी की गणना करते समय अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य को घटाया जाना आवश्यक है।

2. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 - पट्टे के संदर्भ में, अधिकांश पट्टे, पट्टेदार की तुलन पत्र पर पट्टा भुगतान करने के दायित्व (देयता) और संबंधित आरओयू आस्ति (आस्ति) के रूप में दर्शाए जाएंगे। हमें विनियामक पूंजी/स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए आरओयू आस्तियों के निष्पादन पर विभिन्न एनबीएफसी (पट्टेदार के रूप में उनकी क्षमता में) से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

3. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियमित संस्थाओं को स्वाधिकृत निधि/सीईटी 1 पूंजी/टियर 1 पूंजी (जैसा भी मामला हो) से आरओयू आस्ति (इंड एएस 116-पट्टे के अनुसार सृजित) को घटाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो। आरओयू आस्ति 100 प्रतिशत जोखिम-भारित होगी, जो स्वाधिकृत मूर्त आस्तियों पर ऐतिहासिक रूप से लागू जोखिम भार के अनुरूप होगी।

4. उपर्युक्त संशोधन/परिवर्तन संबंधित मास्टर निदेशों में शामिल कर लिए गए हैं, जिनका विवरण नीचे अनुबंध 1 से अनुबंध 6 में दिया गया है।

प्रयोज्यता

5. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 को लागू करने वाली आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर लागू है।

भवदीया

(उषा जानकीरामन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - स्केल आधारित विनियमन निदेश, 2023

वर्तमान पैरा	संशोधित पैरा
5.1.25 "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है i. चुकता इक्विटी पूंजी, ii. अधिमानी शेयर जो अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तनीय हों, iii. मुक्त आरक्षित निधियां, iv. शेयर प्रीमियम खाते में शेष और v. पूंजीगत आरक्षित निधि जो परिसंपत्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों को छोड़कर, और निम्नलिखित को घटाकर vi. संचित हानि राशि, vii. अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो;	5.1.25 "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है viii. चुकता इक्विटी पूंजी, ix. अधिमानी शेयर जो अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तनीय हों, x. मुक्त आरक्षित निधियां, xi. शेयर प्रीमियम खाते में शेष और xii. पूंजीगत आरक्षित निधि जो आस्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों को छोड़कर, और निम्नलिखित को घटाकर xiii. संचित हानि राशि, xiv. अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो; एनबीएफसी को स्वाधिकृत निधि से उपयोग-का - अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति (भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टे के अनुसार सृजित) को घटाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।
107.2 .... (ix) सीईटी 1 पूंजी की गणना में निम्नलिखित विनियामक समायोजन/कटौतियां लागू की जाएंगी [अर्थात, मद (i) से (viii) के योग से कटौती की जाएगी]: (क) सुनाम एवं अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां: (i) सुनाम और अन्य सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए। (ii) अमूर्त परिसंपत्तियों की पूरी राशि में से किसी भी संबद्ध आस्थगित कर देयताओं को घटा दिया जाएगा, जो उस स्थिति में समाप्त हो जाएंगी, जब	107.2 .... (ix) सीईटी 1 पूंजी की गणना में निम्नलिखित विनियामक समायोजन/कटौतियां लागू की जाएंगी [अर्थात, मद (i) से (viii) के योग से कटौती की जाएगी]: (क) सुनाम एवं अन्य अमूर्त आस्तियां: (i) सुनाम और अन्य सभी अमूर्त आस्तियों को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए। (ii) अमूर्त आस्तियों की पूरी राशि में से किसी भी संबद्ध आस्थगित कर देयताओं को घटा दिया जाएगा, जो उस स्थिति में समाप्त हो जाएंगी, जब

<table>
<tr><th>वर्तमान पैरा</th><th>संशोधित पैरा</th></tr>
<tr><td>अमूर्त परिसंपत्तियां प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अंतर्गत क्षतिग्रस्त अथवा अमान्य हो जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए, अमूर्त परिसंपत्तियों की परिभाषा प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुरूप होगी। वर्तमान अवधि में हुए घाटे तथा पिछली अवधि में हुए घाटे को भी सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए, यदि पहले से नहीं काटा गया हो।</td><td>अमूर्त आस्तियां प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अंतर्गत क्षतिग्रस्त अथवा अमान्य हो जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए, अमूर्त आस्तियों की परिभाषा प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुरूप होगी। वर्तमान अवधि में हुए घाटे तथा पिछली अवधि में हुए घाटे को भी सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए, यदि पहले से नहीं काटा गया हो।
<u>एनबीएफसी को सीईटी 1 पूंजी से आरओयू आस्ति (भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टे के अनुसार सृजित) को घटाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।</u></td></tr>
<tr><td>84. पूंजीगत अनुपात के लिए तुलन पत्र पर आस्तियों का निरूपण
<table>
<tr><td>क्र सं</td><td></td><td>भारित जोखिम आस्तियाँ - तुलन पत्र पर मौजूद मद</td><td>प्रतिशत भार</td></tr>
<tr><td>(5)</td><td></td><td>अन्य आस्तियां</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(घ)</td><td>अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)</td><td>100</td></tr>
</table></td><td>84. पूंजीगत अनुपात के लिए तुलन पत्र पर आस्तियों का निरूपण
<table>
<tr><td>क्र सं</td><td></td><td>भारित जोखिम आस्तियाँ - तुलन पत्र पर मौजूद मद</td><td>प्रतिशत भार</td></tr>
<tr><td>(5)</td><td></td><td>अन्य आस्तियां</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(घ)</td><td>अन्य (<u>आरओयू आस्तियों सहित</u>)</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021

<table>
<tr><th>वर्तमान पैरा</th><th>संशोधित पैरा</th></tr>
<tr>
<td>4.1.28 “स्वाधिकृत निधि” का अर्थ है चुकता इक्विटी पूंजी, अधिमान्य शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, शेयर प्रीमियम खाते में शेष सहित मुक्त आरक्षित निधि और आस्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाली पूंजी आरक्षित निधि, जिसमें आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाई गई आरक्षित निधि को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, को घटाया जाता है।</td>
<td>4.1.28 “स्वाधिकृत निधि” का अर्थ है चुकता इक्विटी पूंजी, अधिमान्य शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, शेयर प्रीमियम खाते में शेष सहित मुक्त आरक्षित निधि और आस्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाली पूंजी आरक्षित निधि, जिसमें आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाई गई आरक्षित निधि को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, को घटाया जाता है।
आवास वित्त कंपनियों को स्वाधिकृत निधि से उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति (भारतीय लेखा मानक 116-पट्टे के अनुसार सृजित) को घटाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।</td>
</tr>
<tr>
<td>तुलन पत्र पर आस्तियां:
6.2
<table>
<tr><td>क्रम सं</td><td></td><td>भारित जोखिम आस्तियाँ - तुलन पत्र पर मौजूद मद</td><td>% भार</td></tr>
<tr><td>(6)</td><td></td><td>अन्य आस्तियाँ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(घ)</td><td>अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)</td><td>100</td></tr>
</table></td>
<td>तुलन पत्र पर आस्तियां:
6.2
<table>
<tr><td>क्रम सं</td><td></td><td>भारित जोखिम आस्तियाँ - तुलन पत्र पर मौजूद मद</td><td>% भार</td></tr>
<tr><td>(6)</td><td></td><td>अन्य आस्तियाँ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(घ)</td><td>अन्य (आरओयू आस्तियों सहित)</td><td>100</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

मास्टर निदेश – मूल निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

<table>
<tr><th>वर्तमान पैरा</th><th>संशोधित पैरा</th></tr>
<tr><td>3.(1)(xxii) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ है चुकता इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, मुक्त रिज़र्व, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और पूंजी रिज़र्व जो आस्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए रिज़र्व को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, को घटाकर;</td><td>3.(1)(xxii) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ है चुकता इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, मुक्त रिज़र्व, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और पूंजी रिज़र्व जो आस्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए रिज़र्व को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, को घटाकर;

एनबीएफसी को स्वाधिकृत निधि से उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति (भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टे के अनुसार सृजित) को घटाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।</td></tr>
<tr><td>8. तुलन पत्र पर आस्तियां
<table>
<tr><th>भारित जोखिम आस्तियाँ - तुलन पत्र पर मौजूद मद</th><th>प्रतिशत भार</th></tr>
<tr><td>(v) अन्य आस्तियाँ</td><td></td></tr>
<tr><td>(घ) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)</td><td>100</td></tr>
</table></td><td>8. तुलन पत्र पर आस्तियां
<table>
<tr><th>भारित जोखिम आस्तियाँ - तुलन पत्र पर मौजूद मद</th><th>प्रतिशत भार</th></tr>
<tr><td>(v) अन्य आस्तियाँ</td><td></td></tr>
<tr><td>(घ) अन्य (आरओयू आस्तियों सहित)</td><td>100</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

अनुबंध 4

मास्टर निदेश - बंधक गारंटी कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

<table>
<tr><th>वर्तमान पैरा</th><th>संशोधित पैरा</th></tr>
<tr>
<td>3(क)(xxv) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ है चुकता इक्विटी पूंजी, बंधक गारंटी कंपनी के पंजीकरण और परिचालन पर दिशानिर्देशों के पैरा 18 के अनुसार बनाए गए आकस्मिक आरक्षित निधियों सहित मुक्त आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और पूंजीगत आरक्षित निधियां जो आस्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं, आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाई गई आरक्षित निधियों को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, को घटाकर;</td>
<td>3(क)(xxv) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ है चुकता इक्विटी पूंजी, बंधक गारंटी कंपनी के पंजीकरण और परिचालन पर दिशानिर्देशों के पैरा 18 के अनुसार बनाए गए आकस्मिक आरक्षित निधियों सहित मुक्त आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और पूंजीगत आरक्षित निधियां जो आस्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं, आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाई गई आरक्षित निधियों को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, को घटाकर; एनबीएफसी को स्वाधिकृत निधि से उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति (भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टे के अनुसार सृजित) को घटाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।</td>
</tr>
<tr>
<td>9. पूंजी पर्याप्तता
तुलन पत्र पर आस्तियां
<table>
<tr><th colspan="2">आस्तियों की मदें - तुलन पत्र पर मौजूद मदें</th><th>जोखिम भार प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>अन्य आस्तियाँ</td><td></td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>अन्य</td><td>100</td></tr>
</table>
</td>
<td>9. पूंजी पर्याप्तता
तुलन पत्र पर आस्तियां
<table>
<tr><th colspan="2">आस्तियों की मदें - तुलन पत्र पर मौजूद मदें</th><th>जोखिम भार प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>अन्य आस्तियाँ</td><td></td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>अन्य (आरओयू आस्तियों सहित)</td><td>100</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024

<table>
<tr><th>वर्तमान पैरा</th><th>संशोधित पैरा</th></tr>
<tr>
<td>
3.1 (xi) “स्वाधिकृत निधि” का अर्थ निम्नलिखित का योग है
क. चुकता इक्विटि पूंजी;
ख. चुकता अधिमान पूंजी, उस सीमा तक जहां तक कि यह इक्विटि पूंजी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;
ग. मुक्त आरक्षित निधि (पुनर्मूल्य आरक्षित निधि को छोड़कर);
घ. लाभ और हानि खाते में जमाशेष से;
निम्नलिखित को घटाकर-
ङ. लाभ और हानि खाते में नामे शेष;
च. विविध व्यय (बट्टा खाते में न डाली गई या संयोजित न की गई सीमा तक);
छ. अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य;
ज. एनपीए/निवेश के मूल्य में कमी के विरुद्ध अल्प/कम प्रावधान;
झ. अधिक आय निर्धारण, यदि कोई हो; और
ञ. वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियत किए गए मदों के लिए अपेक्षित अन्य कटौतियाँ।
</td>
<td>
3.23.1 (xi) “स्वाधिकृत निधि” का अर्थ निम्नलिखित का योग है
क. चुकता इक्विटि पूंजी;
ख. चुकता अधिमान पूंजी, उस सीमा तक जहां तक कि यह इक्विटि पूंजी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;
ग. मुक्त आरक्षित निधि (पुनर्मूल्य आरक्षित निधि को छोड़कर);
घ. लाभ और हानि खाते में जमाशेष से;
निम्नलिखित को घटाकर-
ङ. लाभ और हानि खाते में नामे शेष;
च. विविध व्यय (बट्टा खाते में न डाली गई या संयोजित न की गई सीमा तक);
छ. अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य;
ज. एनपीए/निवेश के मूल्य में कमी के विरुद्ध अल्प/कम प्रावधान;
झ. अधिक आय निर्धारण, यदि कोई हो; और
ञ. वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियत किए गए मदों के लिए अपेक्षित अन्य कटौतियाँ।
एनबीएफसी को स्वाधिकृत निधि से उपयोग-का -अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति (भारतीय लेखा मानक 116-पट्टे के अनुसार सृजित) को घटाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।
</td>
</tr>
<tr>
<td>
18. पूंजी पर्याप्तता अनुपात:
<table>
<tr><th colspan="2">तुलन-पत्र पर मौजूद मद</th><th>जोखिम भार (%)</th></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>अन्य सभी आस्तियां</td><td>100</td></tr>
</table>
</td>
<td>
18. पूंजी पर्याप्तता अनुपात:
<table>
<tr><th colspan="2">तुलन-पत्र पर मौजूद मद</th><th>जोखिम भार (%)</th></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>अन्य सभी आस्तियां (आरओयू आस्ति सहित)</td><td>100</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

मास्टर निदेश – एकल प्राथमिक व्यापारी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

<table>
<tr><th>वर्तमान पैरा</th><th>संशोधित पैरा</th></tr>
<tr>
<td>3(iv) टियर-I पूंजी का अर्थ है चुकता पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि और अन्य प्रकट मुक्त आरक्षित निधि। अनुषंगी कंपनियों में निवेश (जहां लागू हो), अमूर्त आस्ति, चालू लेखा अवधि में घाटा, स्थगित कर आस्ति और पिछली लेखा अवधि से आगे लाए गए घाटे को टियर-I पूंजी से घटाया जाएगा।</td>
<td>3(iv) टियर-I पूंजी का अर्थ है चुकता पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि और अन्य प्रकट मुक्त आरक्षित निधि। अनुषंगी कंपनियों में निवेश (जहां लागू हो), अमूर्त आस्ति *, चालू लेखा अवधि में घाटा, स्थगित कर आस्ति और पिछली लेखा अवधि से आगे लाए गए घाटे को टियर-I पूंजी से घटाया जाएगा।
एनबीएफसी को स्वाधिकृत निधि से उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति (भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टे के अनुसार सृजित) को घटाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुबंध II
ऋण जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता
सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार
1. तुलन पत्र पर आस्तियां
<table>
<tr><th colspan="3">आस्ति/मद का प्रकार</th><th>भार प्रतिशत</th></tr>
<tr><td colspan="2">(vi)</td><td>अन्य आस्तियां</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(घ)</td><td>अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और काउंटर पार्टी के अनुसार जोखिम भार दर्शाया जाना चाहिए)</td><td>X</td></tr>
</table>
</td>
<td>अनुबंध II
ऋण जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता
सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार
1. तुलन पत्र पर आस्तियां
<table>
<tr><th colspan="3">आस्ति/मद का प्रकार</th><th>भार प्रतिशत</th></tr>
<tr><td colspan="2">(vi)</td><td>अन्य आस्तियां</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(घ)</td><td>अन्य (आरओयू आस्तियां)</td><td>100</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>